

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F. 59/ STP/DLB/EODB(91)/17/2175

दिनांक : 17/10/2017

—:परिपत्र:—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F. 59/ STP/DLB/ATR_Timelines ()/17/ दिनांक 08. 09.2017 के क्रम में, राज्य के नगरीय निकायों द्वारा किये जाने वाले आमजन से जुड़े विभिन्न कार्यों के त्वरित निस्तारण एवं राज्य में Ease of Doing Business के तहत Business Reforms Action Plan, 2017 के बिन्दु सं. 404 की पालना के तहत नगरीय निकाय के क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत Trade License प्राप्त किये जाने हेतु निम्न दो दस्तावेज ही प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य होंगे।

1. Aadhar Card/PAN No.
2. Lease Deed/Legal Occupancy Certificate

समस्त नगरीय निकायों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरणों का उक्त आदेशों की पालना में निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F. 59/ STP/DLB/EODB(91)/17/2175

दिनांक : 17.10.2017

प्रतिलिपी निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, Co-ordination, Planning Department.
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
6. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. श्री डी.के. जांगिड़ नोडल ऑफिसर, Singal window Clearance System, DLB को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक